अन्तिम विनियम

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन,शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक 1 जून, 2004

क्रमांक – 1454 – म.प्र.वि.नि.आ. – 04, विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003) की धारा 41 एवं 51 सहपठित धारा 181 (2) (ओ,व्हाई) तथा अन्य विधिक शक्तियां जो उसे इस कार्य हेतु सशक्त करती हो, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा पारेषण एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के अन्य व्यवसायों से आय विषयक व्यवहार तथा अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्वों

के अनुपात जिनका उपयोग अनुज्ञापित व्यवसाय में किया जाना हो तथा तत्सम्बन्धी अन्य प्रासंगिक तथा सहायक विषयों पर विनियम, 2004 बनाता है ।

पारेषण एवं वितरण
(अनुज्ञप्तिधारियों के अन्य व्यवसायों से आय विषयक व्यवहार)
विनियम, 2004

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ**

(1) यह विनियम मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के अन्य व्यवसायों से आय विषयक व्यवहार) विनियम 2004 कहे जावेंगें ।

(2) यह विनियम राज्य के भीतर समस्त पारेषण तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों पर लागू होंगें ।

(3) यह विनियम आयोग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियत दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

2. **परिभाषाऐं तथा व्यवस्था**

(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो ।

(अ) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003) ।

(ब) ''आयोग'' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ।

(स) ''अनुज्ञप्ति'' से अभिप्रेत है राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण एवं वितरण हेतु अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत स्वीकृत एक अनुज्ञप्ति

(द)'' अनुज्ञप्त व्यवसाय'' से अभिप्रेत है अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी या समझे गये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के निबंधन में किए जाने वाले कार्य एवं गतिविधियॉ ।

(इ) ''अनुज्ञप्तिधारी'' से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जिसे अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई हो ।

(फ) ''अन्य व्यवसाय'' से अभिप्रेत है अनुज्ञप्त व्यवसाय के अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी का अन्य व्यवसाय ।

3. **अन्य व्यवसाय की संसूचना**

(1) परिसम्पत्तियों के इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से अनुज्ञप्तिधारी के अन्य व्यवसाय में संलग्न होने की स्थिति में, वह ऐसे अन्य व्यवसाय की लिखित संसूचना आयोग को देगा जिसमें निम्न विवरण सम्मिलित होंगे :–

(अ) अन्य व्यवसाय की प्रकृति ।

(ब) अन्य व्यवसाय में प्रस्तावित पूंजी विनियोग ।

(स) अनुज्ञप्त व्यवसाय की परिसम्पत्तियों एवं सुविधाओं के अन्य व्यवसाय में उपयोग की प्रकृति एवं सीमा ।

(द) अन्य व्यवसाय हेतु उपयोग, परिसम्पत्तियों एवं सुविधाओं का अनुज्ञप्त व्यवसाय व अनुज्ञप्त व्यवसाय के कर्तव्यों की सम्पूर्ति विषयक अनुज्ञप्तिधारी की क्षमता पर, प्रभाव ।

(क) अनुज्ञप्त व्यवसाय की परिसम्पत्तियों एवं सुविधाओं के उपयोग का तरीका तथा यह औचित्य कि उनका उपयोग आदर्श तरीके से, अनुज्ञप्त व्यवसाय की गतिविधियों के संचालन पर बिना प्रभाव डाले, किया जावेगा ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी का यह सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अनुज्ञप्ति व्यवसाय की परिसम्पत्तियों जिसमें मानवीय संसाधन एवं सुविधाऐं सम्मिलित है , का उपयोग अन्य व्यवसाय में करते समय किसी भी प्रकार से अनुज्ञप्त व्यवसाय के अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षित कार्यसम्पादन या आभारों या सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करेगा तथा ऐसा उपयोग अनुज्ञप्तिधारी की लागत एवं जोखिम पर होगा ।

4. <u>लेखा</u>

(1) अनुज्ञप्ति धारी

(अ) अन्य व्यवसाय की गतिविधियों के लिए पृथक लेखा अभिलेख संधारित करेगा जैसे कि किसी राजस्व को राशि, लागत, परिसम्पत्तियों, देयताओं, सुरक्षित निधियों या अन्य प्रावधानों जो अन्य व्यवसाय से या को प्रभारित किए गये हो, ऐसे प्रभारों के आधार के विवरण सहित या विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के मध्य प्रतिभाजन या आबंटन के समुचित विवरण सहित संधारित करेगा ।

(ब) संगत आधारों पर ऐसे अभिलेख से प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए लेखा पत्रक तैयार करेगा जिसमें लाभ–हानिपत्रक, वार्षिक तुलन पत्रक (चिट्ठा) तथा निधियों के संसाधन एवं उपयोग का विवरण सम्मिलित हो ।

(स) तैयार किये गये लेखा पत्रकों क संबंध में प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए अंकेक्षक का प्रतिवेदन देगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि अंकेक्षकों की राय में लेखा पत्रक सम्यक रूप से तैयार किए गये है तथा वे राजस्व, लागत, परिसम्पत्तियों, दायित्वों सुरक्षित निधियों का सही एवं समुचित विवरण देते है तथा सम्बंधित पत्रक व्यवसाय से सुसंगत है ।

(द) आयोग को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्य व्यवसाय में लगाई गई अतिरिक्त लागत के पुनरीक्षण के लिए आवश्यक हो ।

(क) वित्त वर्ष की समाप्ति के 6 माह की अवधि में वित्त वर्ष से सम्बंधित लेखा पत्रकों तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रतियां प्रस्तुत करेगा ।

2. अनुज्ञप्तिधारी आयोग को संतुष्ट करेगा कि अन्य व्यवसाय द्वारा ऊपरी लागतों तथा अन्य सामान्य लागतों का समुचित भाग वहन किया गया है ।

5. <u>वित्तीय प्रभाव</u>

(1) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्रकार से अनुज्ञप्त व्यवसाय की परिसम्पत्तियों एवं सुविधाओं को, या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इस प्रकार से उपयोग की अनुमति नहीं देगा जिससे कि वे अन्य व्यवसाय को पोषित करती हो ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्रकार से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुज्ञप्त व्यवसाय की परिसम्पत्तियों एवं सुविधाओं को अन्य व्यवसाय या अनुज्ञप्त व्यवसाय से अतिरिक्त किसी अन्य गतिविधि से प्रभारित नहीं करेगा ।

(3) अनुज्ञप्तिधारी ऐसी समस्त लागतों जो अनुज्ञात व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के लिए व्यय की गई हो, का भुगतान करेगा तथा यदि ऐसी लागतें अनुज्ञप्त व्यवसाय अन्य व्यवसाय दोनों के लिए व्यय की गई हो को मध्य प्रतिभाजन या आबंटन कर मध्य प्रतिभाजित लागत का भुगतान अन्य व्यवसाय से अनुज्ञप्त व्यवसाय को सुनिश्चित करेगा ।

(4) उपर्युक्त उप अनुच्छेद (3) के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी लागतों के प्रभाजन के अतिरिक्त, अन्य व्यवसाय के सकल पूर्ण बिक्री का एक निश्चित प्रतिशत भाग, जैसा कि आयोग द्वारा वार्षिक औसत राजस्व मांग की अवधारणा के समय विनिश्चित किया जावें, को अभिलेख में लेगा तथा अनुज्ञप्त व्यवसाय को भुगतान करेगा ।

(5) अन्य व्यवसाय से अनुज्ञप्त व्यवसाय को प्राप्त कण्डिका 5 (4) में विनिर्दिष्ट भुगतान का उपभोग अनुज्ञप्त व्यवसाय के पारेषण अथवा/या चक्र प्रभारों को कम करने हेतु किया जावेगा ।

6. <u>आयोग की शक्तियां</u>

(1) आयोग किसी भी समय अन्य व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्त व्यवसाय की परिसम्पत्तियों एवं सुविधाओं के प्रयोग का अन्वेक्षण आदेशित कर सकेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी से अन्य व्यवसाय से संबंधित ऐसी जानकारी मांग सकेगा जिससे विनिश्चय किया जा सके कि

(अ) क्या उपर्युक्त अनुच्छेद 5 में वर्णित लागतें एवं व्यय समुचित रूप से समायोजित एवं भुगतान किये जा रहे है ।

(ब) क्या सकल आवर्त एवं अनुज्ञप्त व्यवसाय को भुगतान किए जाने वाली राशियों के निर्धारण हेतु अन्य व्यवसाय के राजस्व समुचित रूप में लेखे में लिए जा रहे है ।

(2) आयोग अपने कार्यालय के किसी भी अधिकारी को या किसी भी व्यवसायी या विशेषज्ञ या परामर्शदाता को उपर्युक्त अनुच्छेद (1) के अन्तर्गत अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु अधिकृत कर सकेगा ।

(3) आयोग उपर्युक्त अनुच्छेद (2) के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त तथा अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के बाद, अन्य व्यवसाय की लागतों एवं व्यय के संबंध में विभाजन तथा अन्य व्यवसाय के अनुपातिक पूर्ण बिक्री जिसे अनुज्ञप्त व्यवसाय की अन्य के रूप में अभिलिखित किया जाना हो, ऐसे आदेश प्रसारित कर सकेगा जैसा कि आयोग उचित समझे।

7. <u>आदेशों तथा कार्यकारी निर्देशों का प्रसारण</u>

विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003) तथा इन विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग समय–समय पर इन विनियमों तथा विभिन्न विषयों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं तथा ऐसे विषय जो प्रासांगिक एवं सहायक हो, आदेश एवं कार्यकारी निर्देश प्रसारित कर सकेगा जैसा कि इन विनियमों द्वारा आयोग को सशक्त किया गया हो ।

8. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियां**

यदि इन विनियमों के किसी प्रावधान को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग, सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा स्वयं कार्यवाही कर सकेगा या अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी कार्यवाही हेतु निर्देशित कर सकेगा जो आयोग की राय में ऐसी कठिनाई दूर करने हेतु उपयुक्त हो ।

9. **संशोधन की शक्तियां**

आयोग किसी भी समय इन विनियमों में किसी प्रावधान को जोड़ सकेगा, परिर्वतित , अन्तरित, बदल या संशोधित कर सकेगा ।

टीप :– इस मध्यप्रदेश पारेषण एवं वितरण (अनुज्ञप्तिधारियों के अन्य व्यवसायों से आय विषयक व्यवहार) विनियम, 2004 के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उपसचिव